

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सुश्री सरुनी शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.08.2018 से 18.08.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### **भाग-I**

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक, श्री प्रवीण कुमार एवं सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.05.2016 से 31.05.2016 तक श्री एन.के. सिन्हा, लेखापरीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रजिस्ट्रेशन-फिटनेस-कर संग्रह एवं डी.एल. जारी करना संपूर्ण अल्मोड़ा जनपद।

(ii) (अ) राजस्व विवरण:

विगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	818.00
2016-17	938.36
2017-18	1207.92

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		आयोजनागत		आयोजनेत्तर		आधि- क्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर- स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	79.60	71.24	-	8.36
2016-17	-	-	-	-	83.20	70.22	-	12.98
2017-18	-	-	-	-	68.75	66.01	-	2.74

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व संग्रह को सम्मिलित करते हुए इकाई ..... 'A'... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख सचिव, अपर सचिव- परिवहन आयुक्त - अपर आयुक्त- सहायक परिवहन आयुक्त- R.T.O- A.R.T.O- T.T.O- & II

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - माह 10/2016 , 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग 2 "ख"**

**प्रस्तर-1:** वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 2.29 लाख व शास्ति ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4(1), (1-क) व (2) के अनुसार वाहनों का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बंध में ऐसी दर पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा गज़ट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक कर अथवा त्रैमासिक या मासिक कर (जैसा भी लागू है) का भुगतान न कर दिया गया हो। धारा-9(तीन) के अनुसार धारा-4 की उपधारा-2 के अधीन संदेय कर त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा-20(1) के अनुसार देय किसी कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा; उपधारा-3 के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकयों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में माँग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं. 1015/ix-1/106/2012 दिनांक 29.11.2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी जो कि दिनांक 01.12.2012 से प्रभावी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (रु में)	वार्षिक कर की दर (रु में)
1	(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए	430	1700
	(ख) मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिए	510	1900
2	मालयान, जिनका सकलयान भार 3000 कि.ग्रा. से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	230	850

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन माल यान पर कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रु में)
3	मालयान जिनका सकल भार 3000 कि. ग्रा. से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	1000

उक्त अधिनियम की धारा-9(3) के अन्तर्गत जहां किसी मोटरयान के सम्बंध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाए वहाँ देय कर के अतिरिक्त (देय धनराशि के अनधिक) शास्ति देय होगी। आगे, मोटर कराधान नियमावली, 2003 के नियम 24(2) के अनुसार कर जमा न किए जाने पर देय कर की धनराशि के 50% के बराबर शास्ति भी देय होगी।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के कर संबन्धित अभिलेखों व उपलब्ध कराई गयी सूचना की जाँच में पाया गया कि **संलग्नक-I व संलग्नक-II** के अनुसार 13 माल वाहनों व 15 यात्री वाहनों द्वारा देय कर लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक जमा नहीं कराया गया था। कर जमा न कराये जाने से विभाग को संलग्न विवरण अनुसार क्रमशः ` 42,270/- व ` 1,87,220/- (कुल ` 2,29,490/-) (03/2018 तक) कर के रूप में प्राप्त नहीं हुये थे। उक्त के अतिरिक्त इन वाहनों पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि समस्त वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर कर जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ख"****प्रस्तर-2: फिटनेस नवीनीकरण न कराये जाने से राजस्व अवरोधन ` 2.14 लाख।**

केंद्रीय मोटर-यान नियमावली, 1989 के नियम 62(2) के अन्तर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनांक 29.12.2016 के बिन्दु 81 के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन किए जाने हेतु हल्के वाहन के लिए ` 400/-, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए ` 600/- फीस के साथ-साथ मोटर-यानों की फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीनीकरण हेतु ` 200/- फीस भी देय है। फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के लिए ` 50/- की अतिरिक्त फीस भी देय है।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के फिटनेस सम्बन्धी अभिलेखों व उपलब्ध सूचना की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) 11 माल वाहनों व 09 यात्री वाहनों (कुल 20 वाहनों) की फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। फिटनेस का नवीनीकरण न किए जाने से विभाग द्वारा ` 12000/- फिटनेस फीस के साथ-साथ ` 2,01,500/- अतिरिक्त/विलम्ब फीस (कुल ` 2,13,500/-) के रूप में वसूल नहीं किए गए थे (03/2018 तक) ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि संबन्धित वाहन स्वामियों को फिटनेस कराने हेतु नोटिस जारी कर दिये जायेंगे। इकाई द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि आपत्तिगत वाहन अभ्यर्पित नहीं हैं एवं न ही प्रवर्तन द्वारा निरुद्ध किये गये हैं।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ब"**

**प्रस्तर-3: समर्पित वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 1.35 लाख ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम-22 में मोटरयान के अनुपयोग की दशा में वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को कराधान अधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियम 22(4) के अनुसार कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कलेंडर वर्ष में एक समय में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी एक सौ रुपये शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी द्वारा पुनः तीन कलेंडर माह की अवधि के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु, किसी भी दशा में यान एक कलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढ़ाए बिना एक कलेंडर वर्ष में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए अभ्यर्पित रखता है तो इसे प्रतिसंहत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अभ्यर्पित वाहनों की पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में समर्पित 07 वाहनों से नियमानुसार कर की वसूली नहीं की गयी थी।

वाहन स्वामियों द्वारा तीन कलेंडर माह की अवधि के उपरान्त भी निर्धारित शुल्क जमान करते हुये समर्पण अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी एवं वाहन तीन कलेंडर माह से अधिक की अवधि के उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक समर्पित थे। परन्तु, कार्यालय द्वारा नियमानुसार ` 1,35,140/- (03/2018 तक) का कर अधिरोपित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त देय कर पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर वाहन अवमुक्त करवाने एवं कर वसूली की कार्यवाही करते हुये लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ख"****प्रस्तर-4: वाहनों की नीलामी न किए जाने से राजस्व अवरोधन ` 0.40 लाख ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उप-धारा-1 के अनुसार जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किए बिना किसी मोटर यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहाँ ऐसा अधिकारी मोटर यान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है। आगे उप-धारा-3 के अनुसार जहाँ मोटर वाहन कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी मोटर यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा-(2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाए, वहाँ परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बंध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा नीलामी से संबन्धित पत्रावली व क्राइम पंजिका की जाँच में पाया गया कि:

(i) वाहन संख्या UK04F0903 (मैक्सी) को दिनांक 27-07-13 को वैध प्रपत्र न होने के कारण निरुद्ध किया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त वाहन पर रु 34,704/- की कर देयता भी थी।

आगे जाँच में पाया गया कि वाहन को लगभग 05 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वर्तमान तक नियमानुसार नीलाम कर बकाया कर की वसूली नहीं की गयी थी।

(ii) वाहन संख्या UK01TA0942 (taxi) को दिनांक 16-08-17 को वैध प्रपत्र न होने के कारण निरुद्ध किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि वाहन का दिनांक 31.03.17 तक ही कर जमा था । वाहन पर निम्न प्रकार से कर देयता होगी:

Type of Veh	Date of Seizure	Tax Due Period		Nos of Months	SEAT	Tax/s eat/qtr (in `)	Tax/seat/month (in `)	Nos of seats on which tax is payable	Tax Due (in `)
		From	To						
LPV	16-08-17	01-04-17	16-08-17	5	7	510	170	6	5100.00

जाँच में पाया गया कि वाहन की नियमानुसार नीलामी कर कर वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों वाहनों पर ` 34,704 + ` 5100 (कुल ` 39,804/-) कर बकाया था ।



लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि दोनों वाहनों के सम्बन्ध में मुख्यालय की नीलामी हेतु अनुमति प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार 90 दिवस उपरान्त वाहनों की नीलामी की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी थी। समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन वाहनों का मूल्य हास होने से विभाग को राजस्व क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
09/2008-09	02(एक)	-
17/2009-10	01,02,03	-
49/2012-13	-	02 (एक)
33/2016-17	-	01,02,03,04 (चार)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या :  
अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : शून्य

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएं:**  
टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	श्री राजीव मेहता	RTO

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**